राज्य सूचना आयोग

सूचना भवन, चौथा तल्ला, बेली रोड, पटना।

पत्रांक-- 1874 पटना, दिनांक 18 नवम्बर 2011

प्रेषक,

सचिव,

राज्य सूचना आयोग,

बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः-- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत छद्म व्यक्तियों द्वारा आवेदन देने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण है, परन्तु इस अधिनियम का उपयोग कुछ आवेदक अनुचित लाभ उठाने हेतु कर रहे है। सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने के लिए 10/-- रूपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है, परन्तु इससे बचने के लिए कई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर आवेदन देते है जो गरीबी रेखा के नीचे निबंधित हो। कभी--कभी ऐसे व्यक्ति भी आवेदन देते है जो प्रथम द्रष्टव्य गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी में प्रतीत नहीं होते है, क्योकि उनके द्वारा राजधानी में अपना दफ्तर संधारित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में एक साथ आवेदन सूचना प्राप्ति हेतु दिये जाते है।

अतः अनुरोध है कि कृपया आप अपने जिले में ऐसे व्यक्तियों के संबंध में छान--बीन कराये और अगर कोई मामला प्रकाश में आता हो तो इस संबंध में आयोग को अवगत कराये जिससे कि आयोग द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

(बी० बी० पाण्डेय)

ज्ञापांक 886 /लो० दिनांक 25/11/11

प्रतिलिपि - सभी लोक सूचना पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

लोक पदाधिकारी
सूचना का अधिकार,
समाहरणालय, मुंगेर।

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला सूचना का अधिकार कोषांग)

पत्रांक:- 889 /सू0को0, 28/11/11

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,

मुंगेर।

सेवा में,

सभी संबंधित कार्यालय के

लोक सूचना पदाधिकारी,

मुंगेर जिला।

मुंगेर, दिनांक:-

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम को वित्तीय वर्ष 2010-11 में कार्यान्वित एवं प्रोत्साहित करने वाले उत्कृष्ट लोक सूचना पदाधिकारी को पुरस्कृत करने के संबंध में।

प्रसंग:- सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार पटना के पत्रांक-1503/दि0-19.10.11 एवं इस कार्यालय के ज्ञापांक-801/सू0को0, दि0-04.11.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाय। राज्य सूचना आयोग में वर्ष 2010-11 में उत्कृत लोक सूचना पदाधिकारी को पुरस्कृत करने का निदेश प्राप्त है, जिसकी प्रति आप को भी इस कार्यालय के ज्ञापांक-801/सू0को0, दि0-04.11.2011 द्वारा प्राप्त कराया गया है प्रासंगिक पत्र के आलोक में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित किया जाय ताकि उत्कृष्ट लोक सूचना पदाधिकारी का नाम राज्य सूचना आयोग को भेजा जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

28/11/11

[illegible]

मुंगेर।